शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य 13.12.2024

थाना निगोही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 693/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित पशु चोर गिरोह के सदस्य को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एंव क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना निगोही पुलिस टीम ने बड़ी कार्यवाही की है।

दिनांक 12.12.2024 को वादी श्री इकबाल कुरैशी पुत्र छिददन निवासी मौहल्ला बगीचा कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर की सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 693/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अभियुक्तगण (1) शमशाद पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला अब्दुल कलाम नगर कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर (2) इमरान पुत्र रज्जाक निवासी मौहल्ला अशफाक नगर कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर (3) भूरा पुत्र ओमकार निवासी ग्राम हमजापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर वादी की पिकअप गाडी जिसमे बकरे व बकरिया भरे होने के संबंध में पंजीकृत होकर विवेचना प्रशिक्षु उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रारंभ की गयी। थाना निगोही पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये दिनाँक 13.12.2024 को इस घटना में संलिप्त अभियुक्त इमरान पुत्र रज्जाक निवासी मौहल्ला अशफाक नगर कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर को इनायतपुर पुलिया पुवायाँ रोड से इनायतपुर गाँव की तरफ समय करीब 19.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया।

पुछताछ विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त इमरान पुत्र रज्जाक उपरोक्त ने पूछताछ में जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि मैं और मेरे साथी 1. शमशाद पुत्र मजीद निवासी मौहल्ला अब्दुल कलाम नगर कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर 2. भूरा पुत्र ओमकार निवासी ग्राम हमजापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर मिलकर पशु चोरी करते है। तथा चोरी किये गये पशुओं को दूरदराज स्थानो पर ले जाकर बेच देते है अभियुक्त इमरान पुत्र रज्जाक ने अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर दिनाँक 11.12.2024 की रात्रि में वादी की पिकअप मे लदे बकरे व बकरियो को पिकअप सहित वादी के मौहल्ले बगीचा कस्बा व थाना निगोही शाहजहाँपुर से चुरा कर भाग जाना तथा रास्ते मे पिकअप गाडी पलट जाने से हम तीनो लोगो द्वारा गाडी मे भरे बकरो व बकरियो को नहर कोठी खन्डर मे छिपा कर रख रखे है। पकडे गये **अभियुक्त के निशादेही से 15 बकरे व बकरियो के नहर कोठी खन्डर से बरामद किया गया**। तथा उक्त नामित दो और अभियुक्तो के बारे मे पूछा गया तो बताया कि साहब वे आप को देखकर भाग निकले है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नकद 300 रूपये बरामद किये गये तथा इस अभियोग माल बरामदगी के आधार में धारा 317(2) BNS की वृद्धि कर अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया गया है। शेष 02 अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1.इमरान पुत्र रज्जाक निवासी मौहल्ला अशफाक नगर कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण

1.15 बकरे व बकरिया तथा कुल 300 रूपये

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 132/2022 धारा 363/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 693/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1.प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान

2.प्रशिक्षु उ0नि0 प्रमोद कुमार

3.प्रशिक्षु उ0नि0 पवन कुमार

4.प्रशिक्षु उ0नि0 आदित्य कन्नौजिया

5.का0 724 विक्रम सिंह

6.का0 2171 परिक्षित तेवतिया